फैक्स शीट

परियोजना का नामः– *जनपद चमोली की बद्रीनाथ विधान सभा के अन्तर्गत पोखरी (ग्राम उदयपुर एवं ग्राम सिनाऊ तल्ला मल्ला) में राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी, चमोली के निर्माण हेतु कुल रकवा 0.964 हे0 अर्थात 2.3815 एकड़ वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव।*

1–प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हे0में)

आरक्षित वन भूमि	***–शून्य***
सिविल एवं सोयम वन भूमि	***–शून्य***
वन पंचायत भूमि	***–0.964 हेक्टेयर***
निजी भूमि	***–शून्य***
योग	***–0.964 हेक्टेयर***

2–प्रस्तावक विभाग का नाम – ***राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी(तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड)।***
3–वन प्रभाग का नाम– ***केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग गोपेश्वर, चमोली।***
4–प्रस्ताव बाइंड़िग किया गया है– ***हॉ/नहीं***
5–प्रस्ताव में सूची भरी गयी है– ***हॉ/नहीं***
6–क्या भारत सरकार के प्रारुप के भाग–1,2व 3
के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है– ***हॉ/नहीं***
7–क्या प्रारुप में वाछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है– ***हॉ/नहीं***
8–प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है– ***हॉ/नहीं***
9–प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण –पत्र संलग्न है– ***हॉ/नहीं***
10–बाज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न हैः ***हॉ/नहीं***
11 प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावित विभाग द्वारा उन्हे कम करने का क्या प्रयास किया गया हैः ***हॉ/नहीं***
12 समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रुप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है– ***हॉ/नहीं***
13–क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है– ***हॉ/नहीं***
14–क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपर्युक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है– ***हॉ/नहीं***
14–क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है– ***हॉ/नहीं***
15–प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है– ***हॉ/नहीं***
16–क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है– ***हॉ/नहीं***
क्या प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरिडोर का हिस्सा है? – ***हॉ/नहीं***
यदि हॉ तो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
17–क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है– ***हॉ/नहीं***
18–प्रस्तावित क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है– ***हॉ/नहीं***
19–क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है– ***हॉ/नहीं***
20–प्रभावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित किया जाना है– ***हॉ/नहीं***
21 यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी हो तो भारत सरकार की स्वीकृत की प्रतिलिपि संलग्न करेंः ***हॉ/नहीं***
22–क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग–अलग रंगो से भरा गया है–***हॉ/नहीं***

23–यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है– *हॉ/नहीं*
24– क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण)अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है: *हॉ/नहीं*
25–यदि उल्लंघन हुआ तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्व की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाए– *हॉ/नहीं*
26–सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनाये/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दशाये गये है– *हॉ/नहीं*
27–लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रुप में प्रस्तुत है– *हॉ/नहीं*
(05 हेक्टेयर से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)
28–मानचित्र व बारचार्ट में एकरुपता है– *हॉ/नहीं*
29–मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है– *हॉ/नहीं*
अथवा
30 राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है– *हॉ/नहीं*
31–क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियों मूल में संलग्न है, यदि छायाप्रतियां संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित हैं– *हॉ/नहीं*
32–यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है– *हॉ/नहीं*
33–वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है– *हॉ/नहीं*
34–क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण–पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है– *हॉ/नहीं*
35–क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण–पत्र संलग्न है– *हॉ/नहीं*

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्स शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र/सूचनाये संलग्न कर दी गई है।

ह0	ह0	ह0
प्रधानाचार्य समन्वयक/प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी, चमोली	उप प्रभागीय वनाधिकारी	प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर (चमोली)

[illegible] कागज बचाओ।

कौर्यालय उप जिलाधिकारी पोखरी।

संख्या 5 /15 / रा0का0–रा0पॉ0भूमि चयन (2015–16) दिनांक पोखरी 04 अप्रैल 2016

[illegible], प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
पोखरी।

विषय– राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी की स्थापना हेतु 2.3815 एकड (0.96374 है0) भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 335 / रा0पॉ0पोखरी / भूमि भवन / 2015–16 दिनांक 27 फरवरी 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें

प्रश्नगत प्रकरण पर भूमि उपलब्धता के सम्बन्ध में राजस्व उपनिरीक्षक देवर ने अपनी आख्या दिनांक 05.03.2016 के द्वारा राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना हेतु भूमि का प्रस्ताव तैयार करते हुए अवगत कराया है कि राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी की स्थापना हेत ग्राम उदयपुर के ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या 04 में चीड जंगल के नाम से दर्ज खसरा नम्बर 02 रकवा 4.492 है0 मध्ये 0.404 है0 एवं ग्राम सिनाऊ तल्ला मल्ला की ज0वि0 र0 खतौनी खाता संख्या 30 में दर्ज खसरा नम्बर 2075 रकवा 1.605 है0 मध्ये 0.160 है0 एवं खसरा नम्बर 2076 रकवा 1.805 है0 मध्ये 0.400 है0 जो कि श्रेणी 9–3 (ख) (2) अन्य प्रकार के वृक्ष एवं झाडियों के समूह के रूप में दर्ज अभिलेख है, प्रस्तावित की गयी है इस प्रकार ग्राम सिनाऊतल्ला मल्ला एवं उदयपुर में राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी की स्थापना हेत कुल 0.964 है0 भूमि प्रस्तावित की जा रही है जिसका नक्शा, खसरा एवं खतौनी की नकल मूल में संलग्न है।

उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित भूमि चीड़ जंगल के रूप में एवं श्रेणी–9(3)ख(2) अन्य प्रकार की झाडियों के समुह के रूप में दर्ज अभिलेख होने से उक्त भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होते हैं, जिस कारण उक्त भूमि को शासनादेश सं0 2882 / XVIII(II) / 11–18(120) / 2010 दिनांक 11 नवम्बर 2015 के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया जाना सम्भव नहीं है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना हेतु प्रस्तावित भूमि का नक्शा, खसरा एवं खतौनी की प्रति आपको इस आशय के साथ प्रेषित किये जा रहे हैं कि प्रकरण में नियमानुसार वन भूमि हस्तानान्तरण के तहत प्रस्ताव तैयार कर ऑन लाईन अपलोड करते हुए स्वीकृति हेतु नोडल अधिकारी, भूमि संरक्षण निदेशालय देहरादून को प्रेषित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। साथ ही प्रसतावित भूमि के बदले क्षतिपूर्ति हेतु दोगुनी भूमि का नक्शा खसरा एवं खतौनी की प्रति भी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– यथोपरि।

([illegible])
उप जिलाधिकारी
पोखरी।

राजकीय पॉलीटेक्निक, पोखरी (चमोली)

www.gppokhari.org.in
E-Mail: principalpokhari@gmail.com
Office Phone No - 01372-212671
Mob No: 9411762338

प्रेषक,

प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलीटेक्निक
पोखरी, चमोली।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
चमोली, उत्तराखण्ड।

पत्रांक— 835 / रा0पॉ0पोखरी / भूमि भवन / 2015—16 दिनांक 02 फरवरी, 2016।

विषय—: ए0आई0सी0टी0ई0 मानकानुसार राजकीय पॉलीटेक्निक के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता / हस्तान्तरण कराने विषयक।

महोदय,

निदेशालय के पत्रांक संख्या 556 / नि0प्रा0शि0 / प्लान—छः—51 / 2015—16 दिनांक 01 फरवरी, 2016 के क्रम में आपको अवगत करना है कि ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा वर्ष 2016—17 के लिए भूमि हेतु मानकों में संशोधन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 05 एकड़ की जगह अब 04 एकड़ (1.61874 हे0) भूमि की आवश्यकता है। महोदय वर्तमान समय में राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी, चमोली के पास 1.6185 एकड़ (0.65 5 हे0) भूमि उपलब्ध है।

अतः महोदय से निवेदन है कि ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार वांछित 2.3815 एकड़ (0.96374 हे0) भूमि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

समन्वयक / प्रभारी प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी, चमोली।

कार्यालय समन्वयक / प्रधानाचार्य रा0पा0पोखरी, चमोली।

प्रतिलिपि :—निम्न की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. उप जिलाधिकारी महोदय पोखरी, चमोली को इस आशय के साथ प्रेषित की वांछित 2.3815 एकड़ (0.96374 हे0) भूमि संस्था को उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड, श्रीनगर गढ़वाल।

समन्वयक / प्रभारी प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी, चमोली।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत जनपद चमोली की बद्रीनाथ विधान सभा के अन्तर्गत पोखरी (ग्राम उदयपुर 0.404 हे0 एवं ग्राम सिनाऊ तल्ला मल्ला 0.560 हे0) में राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी, चमोली की स्थापना परियोजना हेतु कुल रकवा 0.964 हे0 अर्थात 2.3815 एकड़ वन भूमि राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी, चमोली, तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में हस्तान्तरण किये जाने हेतु प्रस्ताव।